or sixty-five years of age whichever is earlier. *** The scheme of issuance of photo identity cards to voters has been accepted by Government.

@ Specific provision was inserted in March, 1992 in the Representation of the People Act, 1951 to empower the Commission to use EVMs at election. Use of Electronic Voting Machines in selected constitutencies was made during Assembly elections held in Novemeber, 1998. $ These recommendations have been given effect to by the Representation of the People (Amendment) Act, 1996.

$$ The Representation of the People (Amendment) Act, 1996 provides for non-countermanding of an election in case of death of any candidate.

% No final decision has been taken.

Lok Adalats

1790. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Lok Adalats are getting popular in every State; and

(b) if so, the number of Lok Adalats organised by Government during the last three years. State-wise, year-wise and place-wise alongwith the cases settled therein?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.

(b) Lok Adalats are being organised by the State and District Legal Services Authorities, etc.—constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 and not by the Government.

Information as to the number of Lok Adalats organised by the State Legal Services Authorities during the last three years, State wise, year-wise and place wise is being obtained from the State Legal Services Authorities and will be laid on the Table of the House.

न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां को भरा जाना

1791. **श्री डी.पी. यादव** :

श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में आधारभूत ढांचे को सुधारने और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्वि करने की अत्याधिक आवश्यकता हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि यहां तक कि उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां खाली पड़ी रहने के परिणामस्वरूप बकाया मामले निपटान से बच जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार न्यायाधीशों की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी हैं और क्या सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम.थम्बी दुरई) : (क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का तीन वर्षो में एक बार पुनर्विलोकन किया जाता हैं और आगामी पुनर्विलोकन 1998 में किया जाना हैं।

न्यायापालिका के संबंध में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान आरंभ की गई थी। इसमें न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए निवास स्थान, जिसमें उच्च न्यायाल/अधीनस्थ न्यायालय भी हैं, का संनिर्माण सम्मिलित है। वर्ष 1993-94 में, इसके प्रारंभ से 1997-98 तक अवसंरचनाओं के विकास के लिए विभिन्न सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों को 232.43 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, इस प्रयोजन के लिए 52 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया हैं।

(ख) से (ड.) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श अंतर्ग्रस्त हैं। विद्यमान रिक्तयों को यथाशीघ्र भरे जाने के लिए हर सभंव प्रयास किया जा रहा हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियों के ब्यौरे विवरण मे संलग्र हैं। (नीचे देखिए)

अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना भारत सरकार का विषय नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	31-01-1998
1.	इलाहाबाद	27
2.	आंध्र प्रदेश	10
3.	बम्बई	13
4.	कलकत्ता	16
5.	दिल्ली	5
6.	गौहाटी	3
7.	गुजरात	4
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश	8
13.	मद्रास	7
14.	उड़ीसा	3
15.	पटना	7
16.	पंजाब और हरियाणा	14
17.	राजस्थान	10
18.	सिक्किम	1
	योग	145
II	उच्चतम न्यायालय	7

Non-revision of Voters List

1792. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Election Commission has not revised the voters list in the recent assembly elections held in Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh and Mizoram;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the youngsters who crossed the age of 18 years have been deprived of their right to cast their vote;

(d) if so, the persons responsible for such lapses; and

(e) the steps Government propose to take to avoid recurrence of such lapses?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) The Electoral Rolls were revised with reference to 1.1.1998 as the qualifying date in the States of Madhya Pradesh, Mizoram, Rajsthan and National Capital Territory of Delhi before the recent elections to the Legislative Assemblies of those States.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Any person whose name is not included in the Electoral Roll but who is otherwise eligible for registration as elector can get his name included in the Electoral Roll in accordance with section 23 of the Representation of the People Act, 1950.

बलात्कार के मामलों की सुनवाई हेतु विधान

1793. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हे देश में बलात्कार के मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया गोपनीय ढंग से कराने के लिए एक व्यापक विधान लाने हेतु ज्ञापन दिया गया हैं;

(ख) क्या वर्तमान में बलात्कार के मामलों में अपनाई जा रही सुनवाई की प्रक्रिया के कारण बलात्कार की शिकार महिलाओं को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है;

(ग) उक्त प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(च) इसे कब ता स्नाये जाने की संभावना हैं?